न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– प्रियंका जोधावत, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 12/2014 (राजसमन्द डिकी)

1. रूपसिंह पिता मानसिंह जी राजपूत, निवासी सार्दुल, तहसील व जिला राजसमन्द (राज.)
2. वदनसिंह पिता मानसिंह जी राजपूत, निवासी सार्दुल, तहसील व जिला राजसमन्द (राज.)
3. फतहसिंह पिता मानसिंह जी राजपूत, निवासी सार्दुल, तहसील व जिला राजसमन्द (राज.)
4. अमरसिंह पिता मानसिंह जी राजपूत, निवासी सार्दुल, तहसील व जिला राजसमन्द (राज.)
5. मु. छग्गुबाई बेवा मानसिंह जी राजपूत, निवासी सार्दुल, तहसील व जिला राजसमन्द (राज.)
6. दलसिंह पिता जामसिंह जी राजपूत, निवासी सार्दुल, तहसील व जिला राजसमन्द (राज.)

..... अपीलान्टगण

बनाम

1. रतनलाल पिता पन्ना जी रेबारी, निवासी ढाणी, तहसील व जिला राजसमन्द (राज.)
2. भीमा पिता पन्ना जी रेबारी, निवासी ढाणी, तहसील व जिला राजसमन्द (राज.)
3. मु. फुलीबाई बेवा पन्ना जी रेबारी, निवासी ढाणी, तहसील व जिला राजसमन्द (राज.)
4. श्रीमती गीता पुत्री पिता पन्ना जी पत्नी किशनलाल जी रेबारी, निवासी आमेट, तहसील आमेट, जिला राजसमन्द (राज.)
5. डूंगरलाल पिता सवा जी रेबारी, निवासी ढाणी, तहसील व जिला राजसमन्द (राज.)
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, राजसमन्द (राज.)

.....रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान
काश्त. अधि. 1955 विरूद्ध निर्णय व
डिकी उपखण्ड अधिकारी राजसमन्द
दिनांक 30.10.2012, प्र. सं. 57/12

———:::———

उपस्थित(वक्तबहस)1. श्री अक्षय पालीवाल अभिभाशक अपीलान्टगण

2. श्री एस.एस. पालीवाल अभिभाषक रे॰सं॰ 1 से 4

3. श्री पैरोकार सरकार रेस्पोन्डेन्ट संख्या 6

———:::———

निर्णय दिनांक

27—06—2019

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 4 द्वारा अपीलान्टगण व अन्य रेस्पोन्डेन्टगण के विरूद्ध एक वाद अन्तर्गत धारा 53, 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम ढाणी में आराजी नंबर 386 रकबा 1 बीघा 7 बिस्वा भूमि स्थित है, जो सवा प्रतिवादी संख्या 5 एवं वादीगण के पिता पन्ना के नाम राजस्व रेकार्ड में हिस्सा बराबर से अंकित थी एवं दोनों सगे भाई होकर उपयोग—उपभोग करते चले आ रहे थे। सवा ने उक्त आराजी में से अपना 1/2 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 से 5 के पिता मानसिंह व प्रतिवादी संख्या 5 दलसिंह को सन् 1977 में विकय कर दिया तथा इसके साथ ही आराजी नंबर 387 व 388 का भी विकय किया, जिसका नामान्तरकरण संख्या 45 वर्ष 1978 में खोला गया, किन्तु नामान्तरकरण में गलती से वादग्रस्त आराजी नंबर 386 का पूरा रकबा मानसिंह व दलसिंह के नाम फैसल कर दिया गया, जबकि उनके द्वारा 1/2 हिस्सा ही कय किया गया था। शेष 1/2 हिस्से पर वादीगण आज भी काबिज चले आ रहे हैं। अतः वादीगण को विवादित आराजी नंबर 386 के 1/2 हिस्से का खातेदार घोषित कराया जाकर विभाजन कराया जावे।

अधिनस्थ न्यायालय में प्रतिवादी संख्या 1 से 6 द्वारा जवाबदावा प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण उनका जवाबदावा बन्द किया गया तथा वादीगण की साक्ष्य लेकर एवं सुनकर अपने निर्णय दिनांक 14—02—2012 से वादीगण का वाद डिकी किया तथा प्राप्त विभाजन प्रस्ताव के आधार पर दिनांक 30—10—2012 को प्रकरण में अंतिम डिकी जारी की।

उक्त अंतिम डिक्री दिनांक 30–10–2012 से रूष्ट होकर रूष्ट होकर अपीलान्टगण/प्रतिवादी संख्या 1 से 6 द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 05–05–2014 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील के साथ दफा 5 जाब्ता मियाद का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलान्ट को उक्त निर्णय व डिक्री की जानकारी उनके अधिवक्ता ने उन्हें नहीं दी तथा अप्रैल 2014 के प्रथम सप्ताह में पटवारी द्वारा कब्जा सिपुर्द करने को कहे जाने पर उन्हें उक्त निर्णय व डिक्री की जानकारी हुई। जानबूझकर कोई विलम्ब नहीं किया गया है। देरी का पर्याप्त कारण है। ताईद में शपथ पत्र भी पेश किया।

हमने उक्त आवेदन का अवलोकन किया तो यह पाया कि अधिनस्थ न्यायालय में प्रतिवादी/अपीलान्टगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही हुई है तथा उनके अधिवक्ता अनुपस्थित रहे हैं। अतः प्रकरण के गुणावगुण के दृष्टिगण न्यायहित में मयाद कण्डोन की जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को तलब किया गया, जिस पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 4 की ओर से वकील श्री एस. एस. पालीवाल उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 6 की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 5 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराया तथा प्रमुख रूप से यह उजर लिया कि अपीलान्ट ग्रामीण व अनपढ़ होने से उन्हें न्यायिक प्रकिया का ज्ञान नहीं है, जिससे व अपने अधिवक्ता के भरोसे बैठे रहे, किन्तु उनके अधिवक्ता द्वारा सही पैरवी नहीं की गयी, जिससे उनका जवाबदावा बन्द कर दिया गया। अधिवक्ता की गलती की सजा पक्षकार को नहीं दी जा सकती। अपीलान्ट संख्या 1 से 5 के पिता मानसिंह व अपीलान्ट संख्या 6 दलसिंह द्वारा विवादित सम्पूर्ण भूमि कय कर कब्जा प्राप्त किया गया है तथा आज भी उनका कब्जा है, किन्तु उनके अधिवक्ता

की लापरवाही से उन्हें अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर नहीं मिला है। अतः अपील स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री निरस्त फरमाई जावे।

रेस्पोन्डेन्ट 1 से 4 के विद्वान अभिभाषक अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री को उपलब्ध साक्ष्यों अनुसार विधि सम्मत बताते हुए अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज करने की प्रार्थना की।

हमने अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली व रेकार्ड का अवलोकन किया तथा तो यह पाया कि पदर्श 3 जमाबन्दी संवत् 2033 से 2036 में विवादित आराजी नंबर 386 रकबा 1 बीघा 7 बिस्वा भूमि वादीगण के पिता पन्ना व प्रतिवादी संख्या 7 सवा के नाम 1/2, 1/2 हिस्से से दर्ज है तथा प्रदर्श 4 नामान्तरकरण संख्या 45 के कलम संख्या 14 में भी इस बात का उल्लेख है कि सवा द्वारा अपना हिस्से ही विकय किया गया है, जबकि ग्राम पंचायत आत्मा ने विवादित आराजी नंबर 386 रकबा 1 बीघा 7 बिस्वा का पूरा रकबा ही प्रतिवादी संख्या 1 से 5 के पिता मानसिंह व प्रतिवादी संख्या 6 दलसिंह के नाम दर्ज करने का आदेश दिया है, जो त्रुटि पूर्ण है। अधिनस्थ न्यायालय ने उपरोक्त बिन्दुओं का विस्तृत विवेचन करते हुए वादीगण को 1/2 हिस्से का खातेदार घोषित कर विभाजन की डिक्री जारी की है, जिसमें हम किसी प्रकार की तथ्यात्मक अथवा विधिक त्रुटि नहीं पाते हैं। जहां तक अपीलान्ट का यह कथन के उनके वकील ने प्रकरण की सही पैरवी नहीं को तथा जवाबदावा पेश नहीं किया, न ही अपीलान्टगण को उक्त निर्णय की सूचना दी, तो इस सम्बन्ध में अपीलान्टगण द्वारा अपने अधिवक्ता के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गयी, यह नहीं बताया है। तद्नुसार अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होन से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 30–10–2012 यथावत रखी जाती है। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविश्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 27–06–2019 का खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रियंका जोधावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.....भू॰प्र॰अ॰ एवं पदेन रा॰अ॰अ॰.....मुकाम..... उदयपुर.....

व इजलास ..... प्रियंका जोधावत, आर॰ए॰एस॰ ....

रूपसिंह पिता मानसिंह जी राजपूत, बनाम रतनलाल पिता पन्नालाल जी रेबारी,
निवासी सार्दुल, तहसील व जिला राजसमन्द व अन्य — निवासी ढाणी, तहसील व जिला राजसमन्द व अन्य

अपील नं॰.....12 / 2014.....व नाराजगी डिगरी अदालत .....उपखण्ड अधिकारी.....
.....राजसमन्द..... मुकाम.....मुवर्खे.....30.....माह..... 10.....2012

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.....27....माह.....06.....सन् 2019 रूबरू..... पक्षकारान
व हाजरी.....श्री अक्षय पालीवाल.....मिनजानिब अपीलान्ट व.....श्री एस. एस. पालीवाल

.....रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि..... अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 30–10–2012 यथावत रखी जाती है।

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....X.....).....रूपये .... X.....
अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का..... X ..... अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....27.....माह.....06..... 2019
को जारी किया गया।

(प्रियंका जोधावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0

1. स्टाम्प अपील ... . 2. स्टाम्प वकालत नामा ..... 3. इजराय हुक्मनामा .. .. 4. वकील फीस बाबत .... मीजान			1. स्टाम्प वकालत नामा... 2. स्टाम्प अर्जी .... 3. इजराय हुक्मनामा . .... 4. मेहनताना वकील..... ..... मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये
दिलाया गया हो।